



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 217 राँची, बुधवार,

12 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

16 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-81/2016-19601 (HRMS)--श्री जितेन्द्र मुण्डा, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-60/20, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया के विरुद्ध आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-132/गो०, दिनांक-24.06.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया-

- (i) श्री जितेन्द्र मुण्डा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान उनके द्वारा दाखिल-खारिज वाद सं०-118/14-15 को माननीय व्यवहार न्यायालय के स्वत्व वाद सं०-35/2010 के आदेश दिनांक 28.01.2014 को अनदेखी कर एवं न्याय निर्णय के विपरीत अस्वीकृत किया गया। यह कार्य अधिकारी के स्वेच्छाचारिता एवं Multiplicity of Judicial Proceeding बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक संस्थाओं के प्रति उनकी निरादर भाव, उदासीनता एवं कर्तव्य में चूक को दर्शाता है।

(ii) श्री जितेन्द्र मुण्डा, अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा कपटपूर्ण तरीके से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से back date से दाखिल-खारिज वाद सं०-118/14-15 को अस्वीकृत किया गया है, जो आदेश फलक पर अंकित तथ्यों से स्पष्ट होता है। आदेश दिनांक 29.05.2014 का है, जिसमें दिनांक 20.06.2014 के प्रतिवेदन, जो थाना प्रभारी आर०आई०टी० को संबोधित है, का उल्लेख है। यह कार्य unbecoming of a Government Servant उनके Vested interest एवं सरकारी कर्तव्य के प्रति निष्ठा से विमुख होने का परिचायक है।

(iii) श्री जितेन्द्र मुण्डा, अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों पर श्री मुण्डा के पत्रांक-813/रा०, दिनांक 22.10.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा इनके स्पष्टीकरण पर आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक-861, दिनांक 21.08.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मुण्डा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०-1 एवं 3 पर दिये गये स्पष्टीकरण से असहमति एवं आरोप सं०-2 पर सहमति प्रतिवेदित किया गया। उक्त मंतव्य पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4888(9)/रा०, दिनांक 12.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गई।

श्री मुण्डा के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-6757, दिनांक 28.12.2020 द्वारा श्री मुण्डा से निम्न बिन्दु पर उनका पक्ष प्राप्त किया गया-

“Mutation आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि Backdated आदेश में बाद के प्रतिवेदन का जिक्र किया गया है।”

उक्त के आलोक में उनके पत्रांक-15/रा०, दिनांक 20.01.2021 द्वारा अपना जवाब समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्य समर्पित किये गये-

(क) कार्मिक विभाग के पत्रांक-6711, दिनांक 04.08.2016 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया है, जिसके आलोक में इनके द्वारा पत्रांक-813/रा०, दिनांक 22.10.2016 स्पष्टीकरण एवं पत्रांक-303/भू०सु०, दिनांक 24.11.2018 द्वारा पूरक स्पष्टीकरण विभाग को भेजा गया है।

(ख) आयुक्त, कोल्हान के पत्रांक-331, दिनांक 15.05.2017 द्वारा राजस्व विभाग को जाँच प्रतिवेदन कुल 8 बिन्दुओं पर मंतव्य सहित भेजा गया है। प्रतिवेदन में मंतव्य अंकित है कि

“प्रश्नगत मामले का निष्पादन Mutation Revision Case No. 20/2008-09 के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय से पूर्व में ही निष्पादित हो जाने के बाद तथा माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से न्याय निर्णय के बाद भी पुनः प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा इस मामले को विविध अपील के माध्यम से सुना गया एवं उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को सुनवाई हेतु निदेश दिया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि तत्कालीन आयुक्त के द्वारा सम्पूर्ण कार्रवाई Puskar Techno Pvt. Ltd. को लाभ पहुँचाने की मंशा से की गई है। साथ ही Puskar Techno Pvt. Ltd. को लाभ पहुँचाने के लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों पर अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। अपने निहित उद्देश्यों में सफल नहीं होने की स्थिति में पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुचित एवं निराधार आरोप अंकित कर उच्चाधिकारियों को कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया है। इसी समतुल्य मामले में तत्कालीन अंचल अधिकारी श्रीमती सुष्मा रानी को आरोप मुक्त किया गया है।

(ग) इनके पत्रांक-813/रा०, दिनांक 22.10.2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-861, दिनांक 21.08.2018 (पृ० 423/प०) से प्रेषित मंतव्य में स्पष्टीकरण पर आरोप सं०-1 पर असहमति जताया गया है जबकि आरोप सं०-2 पर सहमति दी गई है। (दाखिल खारिज में Back date नहीं किया गया है)।

(घ) पूरक स्पष्टीकरण सभी साक्ष्यों के साथ पत्रांक-303/भू०सु०, दिनांक 24.11.2018 द्वारा विभाग को भेजा गया है। आरोप सं०-1 के संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा पत्रांक-813/रा०, दिनांक 22.10.2016 एवं पत्रांक-303/भू०सु०, दिनांक 24.11.2018 द्वारा स्पष्टीकरण भेजा गया है, जिसे विचार कर आरोप मुक्त की जाय।

संबंधित मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री मुण्डा द्वारा अपने जवाब में आयुक्त, कोल्हान के पत्रांक-331, दिनांक 15.05.2017 समर्पित जाँच प्रतिवेदन का उल्लेख किया है, जिसमें आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा द्वारा अंकित है कि तत्कालीन आयुक्त के द्वारा सम्पूर्ण कार्रवाई Puskar Techno Pvt. Ltd. को लाभ पहुँचाने की मंशा से की गई है। साथ ही Puskar Techno Pvt. Ltd. को लाभ पहुँचाने के लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों पर अनैतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया था। अपने निहित उद्देश्यों में सफल नहीं होने की स्थिति में पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुचित एवं निराधार आरोप अंकित कर उच्चाधिकारियों को कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही, यह भी प्रतिवेदित है कि पूर्व में आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-861, दिनांक 21.08.2018 द्वारा प्रेषित मंतव्य में आरोप सं०-2 के स्पष्टीकरण पर सहमति प्रदान की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री जीतेन्द्र मुण्डा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के मंतव्य के आलोक में इस मामले में इनको आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री जितेन्द्र मुण्डा, झांप्रंसें एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JITENDERA MUNDA 20060400046	श्री जीतेन्द्र मुण्डा, झांप्रंसें (कोटि क्रमांक-60/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गम्हरिया को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
